

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
संख्या- 02/02/ई-6/एल0टी0ग्रेड/2025-26
प्रयागराज: दिनांक 24 फरवरी, 2026
विज्ञापित

आयोग के विज्ञापन संख्या-ए-5/ई-1/2025, दिनांक 28.07.2025 के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला शाखा) परीक्षा-2025 के वाणिज्य विषय की प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 25-02-2026 से उपलब्ध रहेगी। आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> के "Home Page" पर "Fill online details for Advt. NO. A-5/E-1/2025, Assistant Teacher, Trained Graduate Grade (Male/Female Branch) (Mains) Exam-2025" पर Click करने के पश्चात 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके अभ्यर्थी OTR No. एवं पासवर्ड/ओटीपी के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authenticate की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष Check Latest Status पर Click करने के पश्चात "Proceed for fee Deposition" पर Click करने पर Fee Payment के लिए पेज open होगा जिसके पश्चात् S.B.I. MOPS का पेज प्रदर्शित होगा, जिसमें भुगतान हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे:-

(I) S.B.I. MOPS के Portal से S.B.I. अथवा 55 अन्य बैंकों में से किसी एक बैंक का चयन करना होगा।

(II) चयन किए गए बैंक के द्वारा Debit/Credit/Net Banking के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

(III) उपरोक्त बिन्दु-II की सुविधा न होने पर S.B.I. का ई-चालान मुद्रित करके नगद भुगतान द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है अथवा, मोबाइल बैंकिंग (UPI) द्वारा 'Buddy' के माध्यम से भी किया जा सकता है।

सभी अभ्यर्थी निर्देशों एवं प्रक्रिया का भली-भाँति अध्ययन करने के उपरान्त उसका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर एवं पूर्ण संतुष्ट होकर "SAVE" कर लें। साथ ही दिये गये फार्मेट पर अभ्यर्थियों को समस्त संलग्नकों यथा- प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपाधियों तथा अन्य सभी दावों से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की pdf फाइल जिसकी साइज अधिकतम 2048 KB (2MB) तक हो, अपलोड करना अनिवार्य है। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त वांछित सूचना दिनांक 11 March, 2026 तक सही-सही एवं सावधानीपूर्वक भरना सुनिश्चित करते हुये पूर्ण संतुष्ट होकर "SAVE/SUBMIT" कर लें।

2- आनलाइन "SUBMIT" किये गये फार्मसेट (आवेदन-पत्र) को मुद्रित कर लें। आनलाइन फार्मसेट (आवेदन-पत्र) "SUBMIT" करने के उपरान्त आयोग द्वारा निर्धारित समय में ही अभ्यर्थियों को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसके संशोधन हेतु केवल एक बार संशोधन (Edit) आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> के "Home Page" पर प्रदर्शित विकल्प "Click here to "Modify

online details after Submission for Advt. NO. A-5/E-1/2025, Assistant Teacher, Trained Graduate Grade (Male/Female Branch) (Mains) Exam-2025" पर क्लिक करके Dashboard के माध्यम से कर सकते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया दिनांक 11 March, 2026 तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण-पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) प्रमाणपत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण-पत्र एवं दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र इत्यादि के प्रारूप की PDF File वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

3-ऑनलाइन भरे गये फार्मसेट (आवेदन-पत्र) एवं अधिमान्यता प्रपत्र को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्नकों (प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपाधियों तथा अन्य सभी दावों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों) सहित एक लिफाफे में भरकर तथा उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता पर्ची (Address Slip) चस्पा कर दिनांक 18 March, 2026 को अपराह्न 5:00 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, (परीक्षा-06 अनुभाग), 10-कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड नं.-211018 को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या-3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउन्टर (पूछ-ताछ काउन्टर) पर अवश्य उपलब्ध करा दें। उक्त अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले फार्मसेट (आवेदन-पत्र) किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

4-इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किये जायेंगे परन्तु उसके साथ निवास प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

5-अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत चयन हेतु प्रारम्भिक परीक्षा के आनलाइन आवेदन में श्रेणी/उपश्रेणी/अर्हता आदि के सम्बन्ध में किये गये दावे के समर्थन में अपने समस्त अभिलेख मुख्य परीक्षा के फार्मसेट (आवेदन-पत्र) के साथ अवश्य संलग्न करें, अन्यथा विज्ञापन के प्रस्तर-10 के नोट एवं प्रस्तर-11 में निहित प्राविधानानुसार उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(शैलेन्द्र सिंह)
अनुसचिव